रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237433
CG-DL-E-22072022-237433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
No. 522]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 595(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक कमांडेट (लेखा आफिसर) और निरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस के स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन भी है, के लिए पात्र होंगे ।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों , आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**पद का वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक कमांडेट (लेखा आफिसर)	10*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित), (योधक अनुसचिवीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100– 177500/-रू.)	चयन पद ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	प्रोन्नति के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400/-रू) में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (लेखा) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और वित्त और लेखा में कम से कम तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** (क) केंन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और लेखा और बजट संबंधी कार्य में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव रखते हैं और वित्त और लेखा में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। (ख) केंन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों के ऐसे अधिकारी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-रू) में दो वर्ष की नियमित सेवा की है और लेखा और बजट संबंधी कार्य में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव रखते हैं और वित्त और लेखा में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडार बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सधारणतया **तीन** वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56** वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	पद का वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निरीक्षक (लेखा)	26*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (योधक अनुसचिवीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900– 142400/-रू.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताँए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(क) (i) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 में ऐसे निरीक्षक(योधक अनुसचिवीय) या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/-रू) में ऐसे उपनिरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है ;

(ii) केंन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है या केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-रू) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है ।

(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-रू) में ऐसे विभागीय सहायक जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है

और

(ख) जिन्होंने सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड और लेखा पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की है और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखता है ;

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडार बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सधारणतया पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक(योधक अनुसचिवीय) जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए नियनिय किए गए है केवल आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. कमांडेट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं.1-12012/07/2016-संगठन]

पी. एस. डंगवाल, उप-सचिव (पर्स-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

G.S.R. 595(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commandant (Accounts Officer) and Inspector (Accountant) in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of said post, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in health care system in Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification of the post.**	**Level in the pay matrix**	**Selection or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Commandant (Accounts Officer)	10*(2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group ‘A’ (Gazetted), (Combatant Ministerial).	Pay level 10 (Rs. 56100-177500) in pay matrix.	Selection post.
Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or** **by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotion.	By promotion failing which deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
By Promotion : From amongst Inspectors (Accountant) of Indo-Tibetan Border Police Force in Pay level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with three years of regular service in the grade and having successfully completed training of at least three weeks in finance and accounts.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

(a) Officers of the Central Government holding analogous post on regular basis and having minimum four years experience in accounts and budgeting and having successfully completed training of three weeks in finance and accounts.

(b) Accounts officers in the Central Government Ministries or Departments in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with two years regular service in the level and having minimum four years experience in accounts and budgeting and having successfully completed training of three weeks in finance and accounts.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 3: The Departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- (1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification of the post.**	**Level in the pay matrix**	**Selection or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Inspector (Accountant)	26*(2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group ‘B’ (Non-Gazetted), (Combatant Ministerial).	Pay Level 7 (44900 - 142400) in pay matrix.	Not applicable.
Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be**

				filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/ absorption

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
By Deputation: (A) (i) from amongst Inspector (Combatant Ministerial) in level-7 of the Pay Matrix of Indo- Tibetan Border Police Force OR From amongst Sub-Inspector (Combatant Ministerial) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade; (ii) officers from Central Government Ministries of Departments holding analogous posts on regular basis; OR Officers of the Central Government with five years regular service in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix (iii) Departmental Assistants with five years regular service in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix AND (B) Having successfully qualified in the Cash and Accounts Course conducted by the Institute of Secretariat Training and Management and possess minimum three years experience in cash, accounts and budget work; **Note. 1**— The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. **Note. 2 –** The Inspector (Combatant Ministerial) of Indo-Tibetan Border Police Force who have been selected for appointment on deputation basis, shall only be considered for absorption.

(12)	13)
If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[F. No. I. 12012/07/2016-Org.]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy. (Pers-I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA